

सेवा में ,

880 + CP10
ना. 2/2
2017

श्रीमान् जन सूचना अधिकारी महोदय,

श्रीमान् निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कल्यानपुर कानपुर नगर।

नेशनल शुगर इन्सीट्यूट ऐनासाई राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जी0टी0रोड
कल्यानपुर कानपुर ।

नियर रेलवे स्टेशन कल्यानपुर कानपुर के पास
महोदय,

प्रार्थी निम्नलिखित सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन कर रहा है।

- 1 - श्रीमती राधा पत्नी श्री अजय कुमार पुत्री श्री महावीर निवासी ग्राम चन्दुला पो0 मन्धना थाना बिठूर कानपुर नगर आपके संस्थान में वान्या सिक्कोटरी गार्ड सुरक्षाकर्मी के पद पर कार्यरत है।
2. श्रीमती राधा की जनवरी 2016 से जुलाई 2017 तक हर माह की उपस्थित की रिपोर्ट ।
3. श्रीमती राधा की जनवरी 2016 से जुलाई 2017 तक की हर माह की पेमेन्ट स्लिपि की प्रतिलिपि ।

दिनांक - 23/08/2017

अजय कुमार
प्रार्थी

अजय कुमार पुत्र श्री प्यारेलाल

नि0 ग्राम बस्ता कालोनी पो0 बेरी
सवाई थाना शिवली तह0 मैथा जिला
कानपुर देहात पिन कोड 209204

मो0-9795631181


Sri D. S. Misra
ambled


30/8/17

दि. 01/9/17 को Pur. section में जाकर रजिस्ट्रेशन प्रेषित।

01/9/17

मि. मिश्रा





सं. 25(52)/2017/RTI/82

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

National Sugar Institute

ISO 9001:2015 प्रमाणित संस्थान

An ISO 9001:2015 Certified Institute

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,

Department of Food & Public Distribution

भारत सरकार

Government of India

7/11/17

फोन 2570541, 542
फैक्स 0512-2570247

कानपुर, दिनांक-29.9.2017

सेवा में,

श्री अजय कुमार पुत्र श्री प्यारेलाल,
नि. ग्राम-बस्ता कालोनी,
पो. बैरी सवाई, थाना-शिवली,
तह. मैथा, कानपुर देहात - 209 204

जारी
संख्या --- 878 ---
दिनांक --- 5/10/17 ---

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में आपके पत्र दि. 23.8.2017 जो संस्थान में दि. 30.8.2017 को प्राप्त हुआ है सूचित करना है कि श्रीमती राधा चूंकि संस्थान की नियमित कर्मचारी नहीं हैं और संस्थान जो कार्य अनुबंध के आधार पर ठेकेदारों से करवाता है, उनके द्वारा नियुक्त कर्मियों की जानकारी अपने यहां नहीं रखता है।

संस्थान ने सुरक्षा कार्य हेतु वान्या सिक्योरिटी सर्विस से अनुबंध कर रखा है और वही यहां अपने गार्ड, सुपरवाइजर, सुरक्षा निरीक्षक आदि की नियुक्ति करती है। इसलिये श्रीमती राधा के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी संस्थान द्वारा दे पाना संभव नहीं है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप दी गई उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में इस पत्र के जारी करने के 30 दिन के अंदर आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पत्र पर अपील कर सकते हैं-

श्री नरेन्द्र मोहन,

निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कानपुर - 208 017

भवदीय,

29/9/17

(जितेन्द्र सिंह)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं

सहा. आचार्य शर्करा प्रौद्योगिकी

कार्यालय